रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2018/कार्तिक 3, 1940
No. 398] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2018/KARTIKA 3, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2018

फा. सं. एल/61/10/नालसा.—केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन उसके हकदार व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उपविनियम (1) में,--

(i) खंड (ड.क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'(ड.क) "मानीटरी और परामर्शदात्री समिति" से विनियम 10 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ड.ख) "पैनल वकील" से विनियम 8 के अधीन पैनल वकील के रूप में पैनलकृत कोई विधि व्यवसायी अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (च) के स्थान पर "पैरा विधिक स्वयं सेवक" से पैरा विधिक स्वयं सेवकों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण स्कीम के अधीन विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रशिक्षित और पैनलीकृत कोई पैरा विधिक स्वयं सेवक अभिप्रेत है" रखा जाएगा ।

(iii) खंड (चक) में कोष्ठक और अंक "(6)" के स्थान पर, "(9)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में,--

(i) उपविनियम (1) में, "कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध" शब्दों के पश्चात् "चक्रानुक्रम के आधार पर एक प्रतिधारक वकील और" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपविनियम (2) और उपविनियम (5) का लोप किया जाएगा ;

4. मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"5. नि:शुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होने का सबूत—इस बात के कि आवेदक अधिनियम की धारा 12 के अधीन नि:शुल्क विधिक सेवा के लिए हकदार व्यक्तियों के प्रवर्गों में आता है, सुसंगत दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों, यदि कोई हों, की स्वअनुप्रमाणित प्रति के साथ उसका स्व प्रमाणपत्र साधारणतया पर्याप्त होगा ।"

5. मूल विनियमों के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"7. नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन—(1) विधिक सेवाओं के लिए आवेदन हेतु आवेदक की पात्रता और अभियोजन या प्रतिरक्षा के लिए प्रथमदृष्टया मामले की विद्यमानता की संवीक्षा, यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी :

परंतु किसी सिविल मामले में कोई प्रतिवादी और किसी आपराधिक मामले में कोई अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति के लिए यह समझा जाएगा कि उसकी दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध प्रतिरक्षा के लिए उसके विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए प्रथमदृष्टतया उसका मामला बनता है :

परंतु यह और कि यदि अभियोजन के लिए प्रथमदृष्टतया मामले के अवधारण में कोई कठिनाई होती है तो इस प्रयोजन के लिए सदस्य-सचिव या सचिव, बार में सात वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले किसी पैनल वकील से राय की ईप्सा कर सकेगा;

परंतु यह और कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में सचिव, बार का पन्द्रह वर्ष से अधिक के अनुभव रखने वाले किसी अधिवक्ता से राय की ईप्सा करेगा ।

(2) विधि सेवाओं हेतु आवेदन पर कोई विनिश्चय तुरंत, किन्तु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन से अनधिक के भीतर लिया जाएगा ।

(3) यदि आवेदक धारा 12 में वर्णित प्रवर्गों के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे किसी स्वैच्छिक या किसी अन्य स्कीम के अधीन नि:शुल्क विधिक सेवाएं देने वाले किसी अन्य निकाय या व्यक्ति से सहायता की ईप्सा करने की सलाह दी जाएगी ।

(4) विधिक सेवा संस्था, ऐसे अभिकरणों, संस्थाओं या व्यक्तियों की सूची रखेगा जिन्होंने नि:शुल्क विधिक सेवाएं देने की रजामंदी व्यक्त की है ।

(5) यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव के विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष को अपील कर सकेगा और अपील में उसका विनिश्चय या आदेश अंतिम होगा ।

(6) यदि विधिक सेवा संस्था का सदस्य-सचिव या सचिव, किसी पैनल वकील के माध्यम से विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाने का विनिश्चय करता है तो वकील के चुनाव पर, यदि आवेदक द्वारा व्यक्त किया गया है, विचार किया जा सकेगा ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"8. वकीलों के पैनल के रूप में विधि व्यवसायियों का चयन—(1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यवसायियों से, उनके नाम पैनलित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और ऐसे आवेदनों के साथ मामलों के प्रकार के विशेष संदर्भ के साथ वृत्तिक अनुभव का सबूत लगा होगा, जिसे आवदेक-विधि व्यवसायी को मामला सौंपे जाने में अधिमानता दी जा सकेगी ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी और विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महा अधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला न्यायवादी या सरकारी अधिवक्ता (जिला और तालुक स्तर के लिए) और विनियम 10 के अधीन गठित मानीटरी और परामर्शदात्री समिति से परामर्श करके वकीलों के पैनल का चयन किया जाएगा :

परंतु विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष स्वप्रेरणा से किसी विधिक व्यवसायी को पैनल में पैनलित कर सकेगा ।

(3) किसी ऐसे विधि व्यवसायी को, जिसके पास बार का तीन वर्ष से कम का अनुभव है, साधारणतया पैनलित नहीं किया जाएगा ।

(4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुमोदित पैनल उपलब्ध करवाया जाएगा ।

(5) विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष, नाम पैनलित करने के लिए, वकीलों की क्षमता, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता और अनुभव पर विचार करेगा ।

(6) पैनल में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और दिव्यांग वकीलों का प्रतिनिधित्व हो सकेगा ।

(7) विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष, सिविल, दांडिक, संवैधानिक विधि, पर्यावरण, श्रम विधि, वैवाहिक विवाद, किशोर न्याय आदि जैसे विभिन्न प्रकार के मामलों के संबंध में पृथक पैनल रख सकेगा ।

(8) यथास्थिति, सदस्य सचिव या सचिव, किसी पैनल वकील को, उस विषय वस्तु से जिसके लिए उस पैनलित किया गया है, भिन्न विषय वस्तु संबंधी मामला सौंप सकेगा ।

(9) विधिक सेवा संस्था का अध्यक्ष, यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के परामर्श से पैनल वकीलों में से प्रतिधारकों के रूप में पदाभिहित किए जाने वाले विधि व्यवसायियों की एक सूची तैयार कर सकेगा ।

(10) प्रतिधारक वकीलों का चयन कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चक्रानुक्रम आधार पर या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पद्धति द्वारा किया जाएगा ।

(11) प्रतिधारक वकीलों की संख्या निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :-

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में बीस ;

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में पंद्रह;

(ग) जिला विधिक प्राधिकरण में दस;

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति में पांच;

(12) प्रतिधारक वकीलों को संदेय मानदेय निम्नलिखित से कम नहीं होगा,--

(क) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में चालीस हजार रुपये प्रतिमास;

(ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की दशा में पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास;

(ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की दशा में पंद्रह हजार रुपये प्रतिमास;

(घ) तालुक विधिक सेवा समिति की दशा में दस हजार रुपये प्रतिमास:

परंतु इस उपविनियम में विनिर्दिष्ट मानदेय विधिक सेवा संस्था द्वारा प्रतिधारक वकीलों को सौंपे गए प्रत्येक मामले में संदेय मानदेय या फीस के अतिरिक्त होगा ।

(13) तीन वर्ष की अवधि के लिए उपविनियम (2) के अधीन तैयार किया गया पैनल का, यथास्थिति, कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा पैनल वकीलों की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए कालिक रूप से पुनर्विलोकन और अद्यतन भी किया जाएगा ।

(14) विधिक सेवा संस्था को कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान किसी प्रतिधारक वकील से कोई मामला वापस लेने की स्वतंत्रता होगी ।

(15) यदि कोई पैनल वकील किसी मामले से हटना चाहता है तो वह, यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव को उसके कारणों का उल्लेख करेगा और उसके पश्चात् पैनल वकील को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(16) उस व्यक्ति से, जिसे इन विनियमों के अधीन जिस व्यक्ति को विधिक सेवाएं दी जा रहीं हों, पैनल वकील किसी भी रीति में कोई फीस, या पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल की मांग नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा ।

(17) यदि नियुक्त पैनल वकील संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या उसने अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्य और भावना के प्रतिकूल कार्य किया है, तो विधिक सेवा संस्था समुचित कदम उठाएगी जिसके अंतर्गत ऐसे वकील से मामला वापस लेना और उसे पैनल से हटाया जाना भी है ।

(18) पैनल वकील, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए माड्यूलों के अनुसार समय-समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

(19) पैनल वकीलों के प्रतिधारण या बने रहने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना एक सुसंगत आकलन होगा ।

7. मूल विनियमों के विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9. विधिक सलाह, परामर्श, प्रारूपण और हस्तांतर - लेखन द्वारा विधिक सेवाएं - (1) विधिक सेवा संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष, विधिक सलाह और प्रारूपण और हस्तांतर-लेखन जैसी अन्य विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ज्येष्ठ वकीलों, विधि फर्मों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, मध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और विधि विश्वविद्यालयों या विधि महाविद्यालयों के विधि आचार्यों का एक पृथक पैनल रख सकेगा ।

(2) विधिक सेवा संस्था का, यथास्थिति, कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नौकरशाहों, ज्येष्ठ कार्यपालकों, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, डाक्टरों, इंजीनियरों, मनश्चिकित्सक, विवाह परामर्शदाता, चार्टरअकाउंटेंट, शिक्षाविद् और विधिक सेवाओं के लिए विशेषज्ञ क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों का एक पृथक पैनल रख सकेगा और उनको संदेय पारिश्रमिक का विनिश्चय; यथास्थिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय विधिक समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

(3) सदस्य - सचिव ज्येष्ठ अधिवक्ताओं से लोकहित में अपनी वृत्तिक सेवाएं जब कभी अपेक्षित हों, देने का अनुरोध कर सकेगा ।

8. मूल विनियमों के विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"10. मानीटरी और परामर्शदात्री समिति – (1) प्रत्येक विधिक सेवा संस्था मामलों में दी जाने वाली न्यायालय आधारित सेवाओं और उनकी प्रगति को निकटता से मानीटर करने के लिए और पैनल वकीलों का मार्गदर्शन और सलाह के लिए एक मानीटरी और परामर्शदात्री समिति का गठन करेगी ।

(2) उच्चतम न्यायालय स्तर पर मानीटरी और परामर्शदात्री समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(i) उच्चतम न्यायालय का पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ज्येष्ठ अधिवक्ता जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) सचिव, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति ;

(iii) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई विख्यात अकादमीशियन या ऐसा अभिलेख अधिवक्ता जिसे दस वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव हो ;

(iv) विधिक सेवा काउंसेल सह परामर्शदाता, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति ।

(3) उच्च न्यायालय स्तर पर मानीटरी और परामर्शदात्री समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(i) उच्च न्यायालय का पीठासीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई ज्येष्ठ अधिवक्ता, जिसे अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ।

(4) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मानीटरी और परामर्शदात्री समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी –

(i) विधिक सेवा संस्था का, यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव ;

(ii) राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा से एक सेवारत न्यायिक अधिकारी ;

(iii) एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या एक ऐसा अधिवक्ता जो पंद्रह वर्ष या अधिक समय से विधि व्यवसाय कर रहा हो ।

(5) तालुक विधिक सेवा समिति की मानीटरी और परामर्शदात्री समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, --

(i) तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष ;

(ii) एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ;

(iii) एक ऐसा अधिवक्ता जो दस वर्ष या अधिक समय से विधि व्यवसाय कर रहा हो ।

(6) मानीटरी समिति और परामर्शदात्री समिति, ऐसे दिवसों को अपनी सेवाएं देगी जब विधिक सेवा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो और उनके द्वारा नियत किए जाएं और सदस्यों को, सेवारत न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जो कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए ।"।

9. मूल विनियमों के विनियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"11. मानीटरी और परामर्शदात्री समिति की प्रक्रिया – (1) जब कभी किसी आवेदक को न्यायालय आधारित विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है तो, यथास्थिति, सदस्य सचिव या सचिव, मानीटरी और परामर्शदात्री समिति को, यथाशीघ्र प्ररूप 2 में ब्यौरे भेजेगा ।

(2) विधिक सेवा संस्था, विधिक सहायता संबंधी मामलों की दिन प्रतिदिन की प्रगति के अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए मानीटरी और परामर्शदात्री समिति को कर्मचारीवृंद और आधारभूत संरचना प्रदान करेगा ।

(3) मानीटरी और परामर्शदात्री समिति, विधिक सेवा संस्था को पैनल वकीलों की कौशल वृद्धि के हेतु समय समय पर पैनल वकीलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करेगी ।

(4) मानीटरी और परामर्शदात्री समिति, गुणवत्ता वाली विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए पैनल वकीलों को परामर्श देगी और उनका मार्गदर्शन करेगी ।

(5) मानीटरी और परामर्शदात्री समिति, मामले की दिन प्रतिदिन प्रगति को मानीटर करने के लिए विधिक सहायता प्राप्त मामलों का और ऐसे मामलों के संबंध में जिसके लिए विधिक सहायता अनुज्ञात की जाती है, अंतिम निर्णय (सफलता या असफलता) का एक रजिस्टर रखेगी तथा उक्त रजिस्टर की प्रत्येक मास, यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव या अध्यक्ष द्वारा संवीक्षा की जाएगी ।

(6) विधिक सेवा संस्था, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से, मामलों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों तक पहुंच अनुज्ञात करने का अनुरोध करेगी ।

(7) मानीटरी और परामर्शदात्री समिति, ऐसे समय के भीतर, जो समिति द्वारा अवधारित किया जाए, पैनल वकीलों से रिपोर्ट मांगकर मामले की प्रगति पर निगरानी रखेगी ।

(8) यदि मामले की प्रगति संतोषप्रद नहीं है तो समिति, विधिक सेवा संस्था को समुचित कदम उठाने के लिए सलाह दे सकेगी ।

(9) समिति, दो सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी ।

(10) मानीटरी और परामर्शदात्री समिति, यथास्थिति, सदस्य-सचिव या सचिव जब कभी भी बैठक बुलाएगा, बैठक करेगी ।

10. मूल विनियमों के विनियम 12 में "मानीटरी समिति" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "मानीटरी और परामर्शदात्री समिति " शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल विनियमों के विनियम 13 में "मानीटरी समिति" शब्दों के स्थान पर "मानीटरी और परामर्शदात्री समिति " शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल विनियमों के विनियम 15 में "मानीटरी समिति" शब्दों के स्थान पर "मानीटरी और परामर्शदात्री समिति " शब्द रखे जाएंगे ।

13. मूल विनियमों के विनियम 16 में "मानीटरी समिति" शब्दों के स्थान पर "मानीटरी और परामर्शदात्री समिति " शब्द रखे जाएंगे ।

14. मूल विनियमों के प्ररूप 2 के शीर्ष में "मानीटरी समिति" शब्दों के स्थान पर "मानीटरी और परामर्शदात्री समिति " शब्द रखे जाएंगे ।

आलोक अग्रवाल, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा. /319/18]

टिप्पण:--मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा तारीख 9 सितंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा तारीख 6 अगस्त, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2018

F. No. L/61/10/NALSA.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) and in pursuance of the provisions in section 4 of the Act to make available free and competent legal services to the persons entitled thereto under section 12 of the said Act, the Central Authority hereby makes the following regulations further to amend the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), -

(i) for clause (ea), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(ea) "Monitoring and Mentoring Committee" means the Committees set up under regulation 10;

(eb) "Panel Lawyer" means a legal practitioner empanelled as a Panel lawyer under regulation 8;';

(ii) in clause (f), for the words "as such", the words "under the 'National Legal Services Authority Scheme for Para Legal Volunteers' and empanelled" shall be substituted.

(iii) in clause (fa), for the bracket and figure "(6)", the bracket and figure "(9)" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 4, -

(i) in sub-regulation (1) after the words "manned by", the words "a Retainer Lawyer on rotational basis and" shall be inserted;
(ii) sub-regulation (2) and sub-regulation (5) shall be omitted;

4. In the principal regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**5. Proof of entitlement of free legal services. -** A self-certificate of the applicant, along with self-attested copy of relevant documents or certificates, if any, that he falls under the categories of persons entitled to free legal services under Section 12 of the Act shall ordinarily be sufficient."

5. In the principal regulations, for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely: -

"**7. Scrutiny and evaluation of the application for free legal services.**- (1) The application for legal services, for eligibility of the applicant and existence of a prima facie case to prosecute or to defend, shall be scrutinised by the Member-Secretary or Secretary, as the case may be, or any officer, deputed by him:

Provided that a defendant in a civil case and an accused or a convict in a criminal case shall be deemed to have prima facie case to defend or to file an appeal against his conviction and sentence:

Provided further that in case, there is some difficulty to determine the prima facie case to prosecute, the Member-Secretary or Secretary may for this purpose, seek opinion from a panel lawyer having more than seven years standing at the Bar:

Provided further that in case of the Supreme Court Legal Services Committee, the Secretary shall seek opinion from an Advocate having more than fifteen years standing at the Bar.

(2) A decision on application for legal services shall be taken immediately, but not more than seven days from the date of receipt of the application.

(3) If the applicant is not covered under the categories mentioned in section 12, he or she shall be advised to seek assistance from any other body or person rendering free legal services either voluntarily or under any other scheme.

(4) The Legal Services Institution shall maintain a list of such agencies, institutions or persons who have expressed willingness to render free legal services.

(5) Any person aggrieved by the decision or order of the Member-Secretary or the Secretary, as the case may be, he may prefer appeal to the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution and the decision or order in appeal shall be final.

(6) In case the Member-Secretary or Secretary of the Legal Services Institution decides to provide legal services through a panel lawyer, the choice of the panel lawyer, if expressed by the applicant, may be considered."

6. In the principal regulations, for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely: -

"**8. Selection of legal practitioners as panel lawyers. –** (1) Every Legal Services Institution shall invite applications from legal practitioners for their empanelment as panel lawyers and such applications shall be accompanied with proof of the professional experience with special reference to the type of cases which the applicant-legal practitioners may prefer to be entrusted with.

(2) The applications received under sub-regulation (1) shall be scrutinised and selection of the panel lawyers shall be made by the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution in consultation with the Attorney General [for the Supreme Court], Advocate General [for the High Court], District Attorney or Government Pleader [for District and Taluka level] and the Monitoring and Mentoring Committee set up under regulation 10:

Provided that the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution may also suo moto empanel any legal practitioner;

(3) No legal practitioner having less than three years' experience at the Bar shall ordinarily be empaneled.

(4) District Legal Services Authorities and Taluk Legal Services Committees shall get the panel approved from the Executive Chairman of the State Legal Services Authority.

(5) The Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution shall take into consideration the competency, integrity, suitability, and experience of lawyers for the empanelment.

(6) There may be representation of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, women and differently abled lawyers in the panel.

(7) The Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution may maintain separate panels for dealing with different types of cases like Civil, Criminal, Constitutional Law, Environmental Law, Labour Laws, Matrimonial disputes, Juvenile Justice, etc.

(8) The Member-Secretary or Secretary, as the case may be, may assign a case to a panel lawyer of a subject matter other than for which he has been empanelled.

(9) The Chairman of the Legal Services Institution may, in consultation with the Executive Chairman of the State Legal Services Authority or National Legal Services Authority, as the case may be, prepare a list of legal practitioners from among the panel lawyers to be designated as Retainers.

(10) The Retainer lawyers shall be selected for a period fixed by the Executive Chairman on rotation basis or by any other method specified by the Executive Chairman.

(11) The strength of Retainer lawyers shall not exceed, -

(a) twenty in the Supreme Court Legal Services Committee;
(b) fifteen in the High Court Legal Services Committee;
(c) ten in the District Legal Authority;
(d) five in the Taluk Legal Services Committee.

(12) The honorarium payable to Retainer lawyer shall not be less than, -

(a) rupees forty thousand per month in the case of Supreme Court Legal Services Committee;
(b) rupees twenty five thousand per month in the case of State Legal Services Authority or High Court Legal Services Committee;
(c) rupees fifteen thousand per month in the case of District Legal Services Authority;
(d) rupees ten thousand per month in the case of the Taluk Legal Services Committee:

Provided that the honorarium specified in this sub-regulation is in addition to the honorarium or fee payable by the Legal Services Institution for each case entrusted to the Retainer lawyer.

(13) The panel prepared under sub-regulation (2) for the period of three years shall also be reviewed and updated periodically by the Executive Chairman or the Chairman, as the case may be, keeping in view the performance of the panel lawyers.

(14) The Legal Services Institution shall be at liberty for withdrawing any case from a Retainer Panel Lawyer during any stage of the proceedings.

(15) If a panel lawyer is desirous of withdrawing from a case he shall state the reasons thereof to the Member-Secretary or the Secretary, as the case may be, and the panel lawyer may be permitted to do so by an order.

(16) The panel lawyers shall not ask for or receive any fee, remuneration or any valuable consideration in any manner, from the person to whom he has rendered legal services under these regulations.

(17) If the panel lawyer engaged is not performing satisfactorily or has acted contrary to the object and spirit of the Act and these regulations, the Legal Services Institution shall take appropriate steps including withdrawal of the case from such lawyer and his removal from the panel.

(18) The panel lawyers shall undergo training periodically as per modules prepared by the National Legal Services Authority and the State Legal Services Authority.

(19) The participation in the training programme shall be a relevant consideration for the retention or continuation of panel lawyers.".

7. In the principal regulations, for regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely: -

"**9. Legal services by way of legal advice, consultation, drafting and conveyancing.** - (1) The Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution may maintain a separate panel of senior lawyers, law firms, retired judicial officers, mediators, conciliators and law professors in the law universities or law colleges for providing legal advice and other legal services like drafting and conveyancing.

(2) The Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution, as the case may be, may maintain a separate panel of retired senior bureaucrats, senior executives, retired police officials, doctors, engineers, psychiatrists, marriage counsellors, chartered accountants, educationists and other experts of the specialised field for legal services and honorarium payable to them shall be decided by the Executive Chairman of State Legal Services Authority or the Chairman of the Supreme Court Legal Committee, as the case may be.
(3) The Member-Secretary may send a request to Senior Advocates to volunteer their pro bono professional services for rendering advice as and when required.".

8. In the principal regulations, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely: -

"10. **Monitoring and Mentoring Committee. -** (1) Every Legal Services Institution shall set up a Monitoring and Mentoring Committee for close monitoring of the court based legal services rendered and the progress of the cases in the legal aided matters and to guide and advise the panel lawyers.

(2) The Monitoring and Mentoring Committee at the level of the Supreme Court shall consist of, -

(i) a sitting or retired judge of the Supreme Court or a Senior Advocate as may be nominated by the Chairman, Supreme Court Legal Services Committee;

(ii) Secretary, Supreme Court Legal Services Committee;

(iii) a renowned Academician or an Advocate-on-Record having ten years of practice to be nominated by the Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee;

(iv) The Legal Service Counsel-cum-Consultant, Supreme Court Legal Services Committee.

(3) The Monitoring and Mentoring Committee at the level of the High Court shall consist of, -

(i) a sitting or retired Judge of the High Court or a Senior Advocate as may be nominated by the Chairman, High Court Legal Services Committee;

(ii) Secretary, High Court Legal Services Committee.

(4) The Monitoring and Mentoring Committee at the State or District Legal Services Authority shall consist of, -

(i) Member-Secretary or Secretary of the Legal Services Institution, as the case may be;

(ii) one serving judicial officer from the State Higher Judicial Service;

(iii) one retired judicial officer or one Advocate of fifteen years' standing or more.

(5) The Monitoring and Mentoring Committee at the Taluk Legal Services Committee shall consist of, –

(i) Chairman of the Taluk Legal Services Committee;

(ii) one retired judicial officer;

(iii) one advocate of 10 years standing or more.

(6) The members of the Monitoring and Mentoring Committee shall render their services on the days as may be required and fixed by the Executive Chairman or Chairman of the Legal Services Institution and the members except serving Judicial Officers shall be paid the honorarium as fixed by the Executive Chairman.".

9. In the principal regulations, for regulation 11, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**11. Procedure of the Monitoring and Mentoring Committee.** - (1) Whenever court based legal aid is provided to an applicant, the Member-Secretary or Secretary as the case may be, shall send the details in Form II to the Monitoring and Mentoring Committee at the earliest.

(2) The Legal Services Institution shall provide adequate staff and infrastructure to the Monitoring and Mentoring Committee for maintaining the records of the day-to-day progress of the legal aided cases.

(3) The Monitoring and Mentoring Committee shall assist the Legal Services Institution in organising training programmes for panel lawyers from time to time to enhance the skill of the panel lawyers.

(4) The Monitoring and Mentoring Committee shall mentor the panel lawyers and guide them in providing quality legal services.

(5) The Monitoring and Mentoring Committee shall maintain a register for legal aided cases for monitoring the day-to-day progress of the case and the end result (success or failure) in respect of cases for which legal aid

is allowed and the said register shall be scrutinised every month by the Member-Secretary or Secretary or the Chairman, as the case may be.

(6) The Legal Services Institution may request the Presiding Officer of the court to allow access to the registers maintained by the court for ascertaining the progress of the cases.

(7) The Monitoring and Mentoring Committee shall keep a watch on the progress of the case by calling for reports from the panel lawyers within such time as may be determined by the Committee.

(8) If the progress of the case is not satisfactory, the Committee may advise the Legal Services Institution to take appropriate steps.

(9) The Committees shall meet at least once in a fortnight.

(10) The Monitoring and Mentoring Committee may meet as and when the meeting is convened by the Member-Secretary or the Secretary as the case may be.".

10. In the principal regulations, in regulation 12, for the words "Monitoring Committee" occurring at both the places, the words "Monitoring and Mentoring Committee" shall be substituted.

11. In the principal regulations, in regulation 13, for the words "Monitoring Committee, the words "Monitoring and Mentoring Committee" shall be substituted.

12. In the principal regulations, in regulation 15, for the words "Monitoring Committee, the words "Monitoring and Mentoring Committee" shall be substituted.

13. In the principal regulations, in regulation 16, for the words "Monitoring Committee, the words "Monitoring and Mentoring Committee" shall be substituted.

14. In Form II of the principal regulations, in the heading, for the words "Monitoring Committee, the words "Monitoring and Mentoring Committee" shall be substituted.

ALOK AGARWAL, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./319/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* notification No. L/61/10/NALSA dated the 9th September, 2010 and were last amended vide notification No. L/61/10/NALSA dated the 6th August, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2018

फा सं एल/28/09/नालसा.—केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) संशोधन विनियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में--

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(खक) "मुकदमा पूर्व मामला" से पक्षकारों के बीच कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है, जो न्यायालय के समक्ष फाइल नहीं किया गया है ;'।

3. मूल विनियमों के विनियम 6 में,--

(i) खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में,-

(अ) "दोनों" शब्द के स्थान पर, "दो" शब्द रख जाएगा ;

(आ) मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(iii) लोक अदालत की विषय-वस्तु से संबंधित क्षेत्र से कोई वृत्तिक ; और

(iv) कोई मध्यस्थ् या कोई वृत्तिक या सेवारत या सेवानिवृत्त ज्येष्ठ कार्यपालक ।"।

4. मूल विनियमों के विनियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**6क. विशेष ड्यूटी भत्ते का संदाय**—यदि लोक अदालत किसी छुट्टी के दिन आयोजित की जाती है या किसी कार्य दिवस को न्यायालय के समय के पश्चात् आयोजित की जाती है तो लोक अदालत में सहायता करने वाले न्यायिक अधिकारियों, अन्य सदस्यों और कर्मचारिवृंद को ऐसा विशेष ड्यूटी भत्ता संदत्त किया जाएगा, जो संबद्ध राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा नियत किया जाए :

परंतु ऐसा विशेष ड्यूटी भत्ता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए गए भत्ते से कम नहीं होगा ।"।

5. मूल विनियम के विनियम 10 में,--

(i) उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) संबंधित विधिक सेवा संस्था किसी मुकदमा पूर्व मामले को पक्षकारों में से किसी पक्षकार के अनुरोध पर, अन्य पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लोक अदालत को निर्दिष्ट कर सकेगी ।";

(ii) उपविनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4) मामलों का नियमित निर्देश और समय से निपटान को सुकर बनाने के लिए आवश्यकता के आधार पर सतत् लोक अदालतों का गठन किया जा सकेगा ।"।

आलोक अग्रवाल, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./319/18]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं. एल/28/09/नालसा, तारीख 14 अक्तूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2018

F. No. L/28/09/NALSA.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Authority hereby makes the following regulations further to amend the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulations, 2009, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2 –

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

'(ba) "pre-litigation matter" means a dispute between the parties which is not filed before the court;' .

3. In the principal regulations, in regulation 6, -

(i) in clauses (a), (b), (c) and (d), -

(A) for the word "both", the word "two" shall be substituted;

(B) after item (ii), the following items shall be inserted, namely: -

"(iii) a professional from the field related to the subject matter of the Lok Adalat; and

(iv) a Mediator or a professional or a serving or retired senior executive." .

4. After regulation 6 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely: –

"**6A. Payment of Special Duty Allowance.** - If the Lok Adalat is organised on a holiday or organised beyond court hours on a working day, the judicial officers, other members and staff assisting the Lok Adalat shall be paid Special Duty Allowance as may be fixed by the concerned State Legal Services Authority:

Provided that such Special Duty Allowance shall not be less than the allowance recommended by the National Legal Services Authority.".

5. In the principal regulation, in regulation 10, -

(i) after sub-regulation (1), the following sub regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) A pre-litigation matter may be referred to the Lok Adalat by the concerned Legal Services Institution on the request of any of the parties after giving a reasonable opportunity of being heard to the other party.";

(ii) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(4) The need based continuous Lok Adalats may be constituted in order to facilitate regular reference and timely disposal of cases." .

ALOK AGARWAL, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./319/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* notification No. L/28/09/NALSA dated the 14th October, 2009.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2018.10.11 14:23:18 +05'30'